न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां राज• श्री दिव्यांशु शर्मा आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां राज• अध्यासित

प्रकरण सं• 114/2020 दावा
दायरा दिनांक :- 15.9.2020
निर्णय दिनांक :- 26.11.21

उनवान

1. शैलेन्द्र पुत्र गिरराज उर्फ गिरीज
2. नरेन्द्र शर्मा पुत्र गिरराज उर्फ गिरीज
3. ललित कुमार पुत्र गिरराज उर्फ गिरीज
4. कृष्णकान्त शर्मा पुत्र गिरराज उर्फ गिरीज
5. दिनेश शर्मा पुत्र गिरराज उर्फ गिरीज जाति ब्राह्मण निवासी गण दूंगरा बारां

बनाम

1. गिरराज उर्फ गिरीज पुत्र बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दूंगरा बारां
2. श्रीमति चेतना शर्मा पुत्री गिरराज उर्फ गिरीज पत्नी देवकीनन्दन जाति ब्राह्मण निवासी म.नं. 142 नयापुरा गांधी चौराहा सांगोद तह• सांगोद कोटा
3. श्रीमति हेमलता पुत्री गिरराज उर्फ गिरीज पत्नी आनन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मनोज आईसक्रीम फैक्ट्री कोटा रोड बारां
4. राज• सरकार जरिये तहसीलदार बारां

वाद पत्र धारा 88, 89, RTA
निर्णय दिनांक :- 26.11.21

उपस्थित अभिभाषक :- 1. श्री हरिओम चतुर्वेदी एड• - वादी
2. श्री योगेन्द्र शर्मा एड• - प्रति•

अभिभाषक वादी गण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, RTA विरुद्ध प्रति वादी गण के न्याया• के इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल दूंगरा तह• बारां में ख.नं. 109 रकबा 0.29 है. ख.नं. 130 रकबा 1.75 है. ख.नं. 153 रकबा 0.42 है. ख.नं. 164 रकबा 0.87 है. ख.नं. 397 रकबा 8.63 है. कुल किता [illegible] रकबा 11.96 है. आराजी स्थित है इनके अतिरिक्त ख.नं. 21 रकबा 3 बीघा, ख.नं. 107 रकबा [illegible] .13 बीघा ख.नं. 140 रकबा 52.02 बीघा, ख.नं. 189 रकबा 3.[illegible] बीघा [illegible] रकबा 73.08 बीघा व उक्त आराजीयात प्रति वादी क्र. 1 गिरराज [illegible] के [illegible] अपने पिता बद्रीलाल पुत्र [illegible] से [illegible] उक्त आराजी मोकूलाल से जरिये मोटी नामा• गिरराज के [illegible] होने से पैत्रक [illegible] है [illegible] लगातार -2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:41:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

3

सिराज उर्फ सिराज को जरिये पिता मोहम्मद के पोती नाना है
वाके उक्त ग्राम बड़ला तह. अन्ता खाता सं. 140 कुल 6 किता रकबा 4.02 हे.
का 1/2 हिस्सा विरासत में प्राप्त हुआ है। सिराज का एक अविभक्त -
संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब था जिसके वादी एवं प्रति वादी कं. 1 ता 3 सहदायिक
थे उक्त सहदायिकों ने आपस में मिल बैठ कर वाके उक्त डूंगरा व बड़ला
की आराजीयात के हक हिस्से कर बाहमी बंटवारा कर लिया था बाहमी
बंटवारे से वादीगण को उक्त डूंगरा की आराजियात हक हिस्से के रूप में
मिली व बड़ला की आराजीयात प्रति वादी कं. 1 ता 3 को हिस्से में मिली।
बाहमी बंटवारा उपरान्त से विवादित आराजी पर वादीगण काबिज काश्त
चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी
कं. 1 के नाम खातेदारी में दर्ज होने से वादीगण को अपने हक हिस्से
की आराजीयात को विक्रय एवं गिरवी व किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक ऋण
राशि प्राप्त करने में भारी असुविधा हो रही है तथा वादीगण को उनकी
फसल का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है उक्त आराजीयात पैतृक आराजी
है जो अविभक्त संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के सहदायिकों के मध्य हुए विभाजन
में वादीगण को उनके हक हिस्से के रूप में प्राप्त होने से वादीगण
विवादित आराजीयात के खातेदार कृषक होने की विधिक प्रास्थिति की
घोषणा करवाने के अधिकारी है वाद कारण दिनांक 9.9.20 को प्रतिवादी
कं. 4 के विधिक प्रतिनिधि को दिये गये नोटिस की मियाद समाप्त होने
तक भी प्रति वादी कं. 4 द्वारा नोटिस की पालना न किये जाने पर तहसील
क्षेत्र बारां में पैदा हुआ वादीगण वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन
किया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजि. कर प्रतिवादीगण को
जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति वादी कं. 1 ता 3 की ओर से इकबाली
जवाब पेश हुआ। वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी
ग्राम डूंगरा सम्वत 2027-30, नकल खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2038-50, नकल खतौनी
ग्राम डूंगरा सम्वत 2038-50, नकल जमाबंदी ग्राम डूंगरा सम्वत 2071-74 खाता नं.
35, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम डूंगरा पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 मोहनलाल
का शपथ पत्र पेश हुआ। साक्ष्य प्रति वादी में सिराज, नेमक, छोगलाल का
शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक आन पक्षकारान सुनी गयी। बहस के दौरान
वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी
का कथन है कि विवादित [illegible] डूंगरा में स्थित है मुताबिक -
जमाबंदी प्रति वादी कं. 1 के खातेदारी [illegible] चली आ रही है। प्रति वादी
1 को उक्त आराजी प्रति वादी [illegible] से प्राप्त हुई थी।

लगातार - 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:41:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

विवादित आराजी पैतृक आराजी है प्रार्थी वादी क्र. 1 के प्राकृतिक पिता चन्द्रमोहन से उक्त रकबा तह. अंता की प्रति 1/3 हिस्सा विरासत में प्राप्त हुआ था। वादी के प्रार्थी वादी गण द्वारा दोनों गांव की भूमियों का बाहमी बंटवारा कर लिया था बाहमी बंटवारे के आधार पर वादी गण एवं प्रार्थी वादी गण काश्त करते चले आ रहे है उक्त हुकरा की भूमि वादी गण को तथा उक्त रकबा तह. अंता की भूमि प्रार्थी वादी गण को बाहमी बंटवारे के आधार पर दी। बाहमी बंटवारे के आधार पर वादी गण को खातेदार पृथक घोषित किया जावे तथा अप्रार्थी का नाम खाते से विलोपित किया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रार्थी वादी का कथन है कि प्रार्थी वादी क्र. 1 ता 3 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया है तथा प्रार्थी वादी 1 ता 3 के ताहम मेरे समक्ष शपथ पत्र भी पेश किये गये है विवादित आराजी उक्त हुकरा की वादी गण के खातेदारी में दर्ज करने पर प्रार्थी वादी क्र. 1 ता 3 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी उक्त हुकरा संवत 2027-30 के बद्रीलाल पुत्र भैरूलाल जाति ब्राह्मण के खातेदारी मे दर्ज होना पाया जाता है नकल जमाबंदी उक्त हुकरा संवत 2058-60 मे प्रार्थी वादी क्र. 1 का नाम दर्ज है। नकल खाता बंदोबस्त संवत 2038-57 मे प्रार्थी वादी क्र. 1 गिरराज का नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी उक्त हुकरा संवत 2071-74 खाता नं. 35 मे प्रार्थी वादी क्र. 1 वही गिरराज पुत्र बद्रीलाल का नाम दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है जिसमें सभी पक्षकारान का बराबर हिस्सा निहित है प्रार्थी वादी द्वारा इकबाली जवाब पेश कर वादी गण को खातेदारी अधिकार देने मे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना बताया है परन्तु वादी गण द्वारा उक्त रकबा तह. अंता की आराजी का कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थी वादी क्र. 1 को उक्त रकबा की भूमि प्राकृतिक पिता चन्द्रमोहन से प्राप्त हुई है प्रार्थी वादी को कोई आधार नहीं परन्तु वादी गण को उक्त रकबा की भूमि का रिकार्ड पेश करना चाहिये था तभी यह साबित होता कि [illegible] भूमि प्रार्थी वादी गण के खातेदारी मे दर्ज है प्रार्थी वादी क्र. [illegible] भूमि को लेना नहीं चाहती है तो वह अपने [illegible] हकत्याग पत्र कर सकती है

लगातार - 4

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:41:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादी गण द्वारा यह साबित करने में विफल रहे है कि उक्त भूखण्ड की प्राप्ति प्रतिवादी क्र. सं. 3 से कोर्ट से करके मकान के हिस्से। वादी गण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी गण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी वाके ग्राम ढुंढारा तह. कोट के ख. नं. 109 रकबा 0.29 हे. ख. नं. 130 रकबा 1.75 हे., ख. नं. 153 रकबा 0.42 हे., ख. नं. 164 रकबा 0.87 हे. ख. नं. 397 रकबा 8.63 हे. कुल किता 5 रकबा 11.96 हे. में वादीगण एवं प्रतिवादी क्र. सं. 1 को खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। निर्णय लिखाया जाकर बरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
कोट
उपखण्ड अधिकारी कार्या.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:41:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

# उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

## डिक्री

| 114/2020 | धारा अंतर्गत 88, 89 RTA | निर्णय दिनांक 26.11.21 |
|---|---|---|
| श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां | | |
| उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री हरिओम चतुर्वेदी | अभिभाषक प्रतिवादी श्री योगेन्द्र शर्मा | |

## वाद शीर्षक

1. योगेन्द्र पुत्र गिरराज उर्फ गिरीश (2.) नरेन्द्र पुत्र गिरराज उर्फ गिरीश
3. ललित कुमार पुत्र गिरराज उर्फ गिरीश (4.) कृष्णकान्त पुत्र गिरराज उर्फ गिरीश
5. दिनेश शर्मा पुत्र गिरराज उर्फ गिरीश जाति ब्राह्मण नि० डूंगरी तह० बारां

बनाम

1. गिरराज उर्फ गिरीश पुत्र बद्रीलाल जाति ब्राह्मण नि० ग्राम डूंगरी तह० बारां
2. श्रीमति चेतना पुत्री गिरराज उर्फ गिरीश पत्नी देवकीनन्दन जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं० 142 नाकाड़ा गांधी चौराहा सांगोद तह० सांगोद
3. श्रीमति कोमलता पुत्री गिरराज उर्फ गिरीश पत्नी आनन्द जाति ब्राह्मण नि० मनोज आइसक्रीम फैक्ट्री बारां
4. राज० सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी गण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम डूंगरी तह० बारां के ख०नं० 109 रकबा 0.29 हे० ख०नं० 130 रकबा 1.75 हे० ख०नं० 153 रकबा 0.42 हे० ख०नं० 164 रकबा 0.87 हे० ख०नं० 397 रकबा 8.63 हे० कुल कित्ता 5 रकबा 11.96 हे० में वादीगण एवं प्रति वादी क्र० 1 ता 3 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ........ रू0 का व्ययानुतोष ........ द्वारा ........ को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 26.11.21 को निर्गत किया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:41:19 IST
Reason: SelfAttested

व्यय तालिका

| क्र.सं. | व्यय मद | | प्रतिवादी |
|---|---|---|---|
| 1 | वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय) | | |
| 2 | अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय) | | |
| 3 | साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय) | | |
| 4 | प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय) | | |
| 5 | पारिश्रमिक अभिभाषक | | |
| 6 | व्यय साक्षी | | |
| 7 | फीस कमिश्नर | | |
| 8 | अन्य/क्षतिपूर्ति | | |

Scanned with CamScanner